इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2015—माघ 10, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2015

क्र. 955-31-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 जनवरी 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१५

मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक २४ जनवरी, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० जनवरी, २०१५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, १९८१ (क्रमांक ३७ सन् १९८१) की धारा ५ में, उपधारा (१) में, **धारा ५ का संशोधन.**

(एक) विद्यमान प्रथम परन्तुक में, शब्द ''परन्तु'' के स्थान पर, शब्द ''परन्तु यह और कि'' स्थापित किए जाएं;

(दो) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, शब्द ''परन्तु यह और कि'' के स्थान पर, शब्द ''परन्तु यह और भी कि'' स्थापित किए जाएं;

(तीन) विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु लोकायुक्त, उसकी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह बढ़ी हुई कालावधि किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:''.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2015

क्र. 956-31-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2015

THE MADHYA PRADESH LOKAYUKT EVAM UP-LOKAYUKT (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

[Received the assent of the Governor on the 24th January, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th January, 2015.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fifth year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

Amendment of Section 5. 2. In Section 5 of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), in sub-section (1),—

(i) in the existing first proviso, for the words "Provided that", the words "Provided further that" shall be substituted;

(ii) in the existing second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided also that" shall be substituted;

(iii) before the existing first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the Lokayukt shall, notwithstanding the expiry of his term, continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office, but this extended period shall not in any case exceed one year:".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.